



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1805]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 19, 2016/आषाढ़ 28, 1938

No. 1805]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 19, 2016/ASADHA 28, 1938

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 05 जुलाई, 2016

का.आ. 2453(अ).—विध्वंसक कीट व नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में संशोधन हेतु एतद्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात:-

1. **लघु शीर्ष एवं प्रारंभ**—(1) इस आदेश को पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2016 कहा जाए।
(2) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची-II में खंड 3 (1, 2, 4, 6, 9) से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

'3. पौधों, पौध उत्पादों आदि का आयात

(1) किसी प्रकार के पौधों, पौध उत्पादों तथा अन्य विनियमित वस्तुओं (इसके पश्चात 'खेप' के रूप में संदर्भित) को इस आदेश के तहत निर्धारित पौध स्वच्छता शर्तों का अनुपालन किए बिना भारत में आयात नहीं किया जाएगा। यह आदेश बीजों/अनाज, फली, गिरियों, फलों, बल्ब, कन्दों/मक्का, रिजोमेस, कॉर्लमेट, कटिंग, सकिष, ग्राफ्ट, छोटे पौधों, बड बुड, जड़ों, रूटस्टॉक, फूलों, पराग, सूखी पौध सामग्री, टिम्बर, काठ, लट्टे, टिशु कल्चर पौध, मृदा, भूमि, चिकनी, मिट्टी, बालू, पीट/काई, जीवित कृमि, माईक्रोबाइल कल्चर, जैव-नियंत्रण एंजेन्टों, ट्रांसजेनिक पौधों तथा आनुवांशिक रूप से संशोधित अवयवों आदि तक सीमित न होकर इनके सहित सभी पौधों, पौध उत्पादों तथा अन्य वस्तुओं के आयात को विनियमित करेगा।

(2) अनुसूची -IV में उल्लिखित पौध प्रजातियों अथवा किस्म के संबंध में पौधों/पौध उत्पादों की किसी श्रेणी को उक्त अनुसूची के कालम (4) में प्रत्येक के सामने उल्लेखित देशों से भारत में आयात किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (3) इस खण्ड को समाप्त किया जाएगा।
- (4) मोटे अनाजों, दलहनों, तिलहनों और चारा बीजों तथा फल पौध किस्मों के बीज/स्टॉक सामग्री की खेपों के आयात भी अनुमति प्रसार के लिए केवल कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एण्ड एफ डब्ल्यू) की आयात-निर्यात समिति की सिफारिशों के आधार पर ही दी जाएगी, पौध संगरोध आदेश की अनुसूची -XII में यथा विनिर्दिष्ट उनकी ट्रायल सामग्री को छोड़कर।
- (5) इस खण्ड को समाप्त किया जाएगा।
- (6) खण्ड 4, 6 व 7 में यथा संदर्भित विनियमिक वस्तुओं की किसी खेप को अनुसूची X में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी आयात परमिट प्रस्तुत किए बिना आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (9) जारी किए गए परमिट जारी करने की तारीख से 12 महीने की अवधि तक मान्य होंगे और खंड 3 (14) (i) के अनुसार ये बहुल पत्तनों में प्रवेश करने और बहु-अंशीय लदानों के लिए वैध होंगे बशर्ते निर्यात, आयातक व उद्गम देश पूरी खेप के लिए वही हो। परमिट जारी करने वाला प्राधिकारी के अनुरोध पर परमिट की वैधता की अवधि को 500 रू0 का शुल्क वसूलने के बाद और अधिक 12 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं, बशर्ते वैधता की अवधि बढ़ाने वाले अनुरोध जारी करने वाले प्राधिकारी को उचित कारणों सहित परमिट समाप्त होने की तारीख से पहले रिकार्ड करने हेतु लिखित रूप से भेजा जाए। आयात परमिट जारी किए जाते समय यदि तथ्य या किसी वस्तुपरक सूचना को छिपाया जाता है तो परमिट निरस्त या वापिस लिया जा सकता है।
- (11) इस खंड को हटाया जाएगा।

3. पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के अध्याय-II में खण्ड 4 से संबंधित मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नांकित प्रविष्टियों के साथ अंतः प्रतिस्थापित किया जायेगा, जो निम्नानुसार है:-

'4. मृदा, ग्रीन मीडिया आदि का आयात -मृदा, ग्रीन मीडिया (मृदा, पीट अथवा अन्य जैविक सामग्री), रेत एवं पीट अथवा स्फेगनम, कार्ब, ऐसी ही अन्य सामग्री और पत्थरों के आयात की अनुमति निम्नांकित शर्तों को छोड़कर नहीं दी जायेगी, जो निम्नानुसार है :-

i. अनुसंधान प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में रखी गई मृदा, रेत ऐसी ही अन्य सामग्री और औद्योगिक एवं गैर कृषि प्रयोजन के लिए पत्थर, ग्रीन मीडिया (मृदा, पीट अथवा अन्य जैविक सामग्री) पीट अथवा बागवानी प्रयोजनों के लिए स्फेगनम, कार्ब को विनिर्दिष्ट वायु अथवा पोत पत्तनों अथवा सीमा शुल्क स्टेशन के द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

"बशर्ते कि आयात परमिट अनुसंधान प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में मृदा, ग्रीन मीडिया (मृदा, पीट अथवा अन्य जैविक सामग्री), पीट अथवा बागवानी प्रयोजनों के लिए स्फेगनम, कार्ब के लिए आवश्यक हो"

ii. उपर्युक्त (i) में उल्लिखित प्रयोजन हेतु आवेदन अथवा ऑन लाईन आवेदन को पीक्यू प्रपत्र 06 में कम से कम 10 दिन पहले अनुसूची- 10 में यथा सूचीकृत निर्गमन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

iii. 1000रू० का शुल्क आवेदन के साथ अदा किया जायेगा। इस शुल्क को ऑनलाईन अथवा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ऐसा कार्यक्षेत्र रखने वाले सक्षम प्राधिकारी के नामे डाला जायेगा।

iv. सक्षम प्राधिकारी आवेदन की सूक्ष्म जांच करने के बाद और उसके प्रयोजन से संतुष्ट होने पर जिसके लिए उसे आयात किया जा रहा है, पीक्यू प्रपत्र-07 में एक विशेष परमिट जारी करेगा। इस आयात परमिट को अनुसूची-VI के तहत विनिर्धारित ऐसी पाबंदियों और शर्तों के अधीन जारी किया जायेगा।

4. पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के अध्याय-2 में खण्ड 7 से संबंधित मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नांकित प्रविष्टियों के साथ प्रतिस्थापित किया जायेगा, जो निम्नानुसार है -

'7. आलगे/जैव नियंत्रण कारकों सहित जीवित कीटों और अन्य आर्थ्रोपोडस/नेमोटोड्स/माइक्रोबेल कल्चर्स का आयात

(1) भारत में अनुसूची-X के तहत यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गमित वैध आयात परमिट के बिना किसी भी आलगे/जैव नियंत्रण कारकों सहित जीवित कीटों और अन्य आर्थ्रोपोडस/नेमोटोड्स/माइक्रोबेल कल्चर्स के आयात की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(2) आलगे/जैव नियंत्रण कारकों सहित जीवित कीट पतंगों और अन्य आर्थ्रोपोडस/निमाटादेस/माइक्रोबेल कल्चर्स का आयात करने की अनुमति लेने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक आवेदन अथवा ऑनलाईन आवेदन लेखा अधिकारी, पौध संगरोध और भंडारण, फरीदाबाद - 121001

के पक्ष में निर्गमित बैंक ड्राफ्ट के रूप में पंजीकृत 1000रु० के शुल्क के साथ पौध संरक्षण सलाहाकार को कम से कम 30दिन पहले पीक्यू प्रपत्र- 12 में किया जायेगा।

(3)सक्षम प्राधिकारी आयात के प्रयोजन से संतुष्ट होने की स्थिति में और इसके साथ लगाई गई ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन तीन प्रतियों में पीक्यू प्रपत्र-13 में परमिट जारी करेगा।

(4)आलगे/जैव नियंत्रण कारकों सहित जीवित कीटों और अन्य आश्रोपोडस/निमाटादेस/माइक्रोबेल कल्चर्स से संबंधित सभी प्रेषिती माल की अनुमति खंड 3(14) के तहत विनिर्दिष्ट प्रविष्टि के बिन्दुओं के माध्यम से ही दी जायेगी। लाभकारी कीटों के साथ विनिर्दिष्ट परजीवियों और परजीवों पर आधारित जन्तुओं से मुक्त तथा हाईपर परजीवियों से मुक्त जैव नियंत्रण कारकों के लिए की गई अतिरिक्त घोषणाओं के साथ उस संबंधित देश में राष्ट्रीय पौध संरक्षण संगठन द्वारा निर्गमित प्रमाण पत्र के साथ दी जायेगी।

(5)यह खंड कृषि से संबद्धता न रखने वाले आलगे/जैव नियंत्रण कारको सहित जीवित कीटों और अन्य आश्रोपोडस/निमाटादेस / माइक्रोबेल कल्चर्स के आयात पर लागू नहीं होगा।

5. पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के अध्याय-III में खण्ड 10 से संबंधित मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नांकित प्रविष्टियों के साथ अंत :स्थापित किया जायेगा, जो निम्नानुसार है:-

10. पौध प्रजातियों के आयात के लिए विशेष शर्तें-

(1) अध्याय -2 में उपर्युक्त सूचीबद्ध सामान्य शर्तों के अलावा अनुसूची V, VI और VII में उल्लिखित के बाद एतत् पश्चात पौध प्रजातियों को आयात की अनुमति दी जायेगी बशर्ते ऐसे प्रतिबंध और शर्तें इस अध्याय में विनिर्दिष्ट है।

(2)अनुसूची V, VI और VII में विनिर्दिष्ट पौध प्रजातियों के साथ मूल देश पर प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी मूल पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र लगा होगा अथवा मूल देश से पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र के साथ-साथ पुनर्नियतक देश द्वारा जारी पुनर्नियत हेतु पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, लगा होगा तथा अतिरिक्त घोषणा भी होगी कि यह खेप इस आदेश की अनुसूची V और VI के तहत उल्लिखित नाशीजीवों से मुक्त है अथवा कि यथा विनिर्दिष्ट नाशीजीव देश में अथवा मूल देश में नहीं है।

(3)जहां कहीं लागू हो मृदा और/अथवा खरपतवार से मुक्ति और उपचार से संबंधित विशेष शर्तें, यथा अनुसूची V और VI के तहत विनिर्दिष्ट हो, ऐसे पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र पृष्ठांकित किए जायेंगे।

(4) खंड 3(4) और 3(11) के तहत निर्धारित शर्तों के अध्यक्षीन पौधों और पौध सामग्री की खेप आयातित की जायेगी।

6. पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के मौजूदा पीक्यू प्रपत्र 01, 02, 03, 04 , 05, 10, 11 व 14 को निरस्त किया जाएगा।

7. पौध संगरोध (भारत में आयात विनियमन) आदेश, 2003 मे, विद्यमान पीक्यू फार्म 06, 07, 12 एवं 13 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां निम्नलिखित प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी।

पीक्यू फार्म 06

(संप्रतीक)

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

पादप संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण,निदेशालय

एनएच-IV, फरीदाबाद (हरियाणा-121001)

मृदा/ग्रोविंग मीडिया/पीट या सैफाग्नम ओस आयात करने के लिए अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन

सेवा में	
(हस्ताक्षरप्राधिकारी)	

मैं/हम एतद्वारा नीचे दिए गए ब्यौरे अनुसार मृदा/ग्नोइंग मीडिया/पीट या सैफग्नम मोस आयात करने की अनुमति हेतु विध्वंसक कीट व नशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के खंड 3 के उप-खंड (1) के तहत जारी किए गए पादप संरक्षण (भारत में आयात का विनयमन) आदेश, 2003 के खंड 4 (ii) के प्रावधानों अनुसार, एक आवेदन करता हूँ/ करते हैं:

1. आयातक का नाम एवं पता	2. निर्यातक का नाम एवं पता		
3. मूल देश	4. नौवाहन का विदेशी बंदरगाह		
5. आयात की लगभग तारीख			
6. प्रविष्टि स्थल	7. परिवहन साधन		
8. खेप विवरण	9. मात्रा	10. पैकिजों की संख्या	11. पैकिंग पद्धति
12. आयात का विशिष्ट उद्देश्य			
घोषणा : मैं / हम एतद्वारा पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिकारी को परेषण के निरीक्षण/ उपचार की दिशा में निर्धारित शुल्क अदा करने और उनके द्वारा जारी अनुदेशों/ दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं। दिनांक ----- स्थान ----- (आयातक या उसके प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर एवं नाम)			

पी क्यू फार्म 07

(संप्रतीक)

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

पादप संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण, निदेशालय

एनएच-IV, फरीदाबाद (हरियाणा-121001)

मृदा/ग्नोइंग मीडिया/पीट या सैफग्नम मोस के आयात हेतु अनुज्ञापत्र

अनुज्ञापत्र सं. ----- जारी करने की तारीख.....

तक वैध -----

विध्वंसक कीट व नशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के खंड 3 के उप-खंड (1) के तहत जारी किए गए पादप संरक्षण (भारत में आयात का विनयमन) आदेश, 2003 के खंड 4 के प्रावधानों अनुसार, मैं एतद्वारा नीचे दिए गए ब्यौरे अनुसार मृदा/ ग्नोइंग मीडिया/पीट या सैफग्नम मोस का निम्नलिखित परेषण का आयात करने की अनमति प्रदान करता हूँ :

1. आयातक का नाम एवं पता	2. निर्यातक का नाम एवं पता		
3. मूल देश	4. प्रवेश स्थल		
5. खेप का वर्णन	6. मात्रा भार/आयतन	7. पैकेज संख्या	8. पैकिंग पद्धति

9. उक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है:

(1) आयातित परेषण प्रारंभिक मूल देश के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए एक अधिकारिक पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र लगाया जाएगा कि

(क) -----(ख) -----

(ग) -----

(2) अनुज्ञा पत्र हस्तांतरणीय नहीं है और जारी करने की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए वैध रहेगा और गुणात्मक पोर्ट पहुंच के लिए वैध होगा तथा निर्यातक, आयतम और संपूर्ण परेषणके लिए उसी मूल देश द्वारा उपलब्ध कराए गए बहु भाग बन्दगाहों के लिए वैध होगा। मूल देश / पुन निर्यात, जो भी मामला हो शारांस जारीपादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर अनुज्ञापत्र संख्या दर्ज की जाएगी

(3) मृदा/अपगामियों का आयातित प्रेषण इस बारे में पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से प्रयोगशाला जांच के बाद निपटाया जाएगा।

दिनांक: स्थान:	(मुहर)	नाम हस्ताक्षर जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम
-------------------	--------	--

पीक्यू फार्म 12

(संप्रतीक)

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

पादप संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण, निदेशालय

एनएच-IV, फरीदाबाद (हरियाणा-121001)

शैवाल/जैव-नियंत्रण एजेन्टों सहित जीवित क्रमियों और अन्य संधिपादों/ गोलक्रमियों/माईक्रोबायल जीवाणु समूहों के आयात हेतु अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन ।

सेवा में पादप संरक्षण सलाहकार, भारत सरकार, पादप संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय, एनएच-IV, फरीदाबाद (हरियाणा-121001)	
---	--

मैं/हम एतद्वारा नीचे दिए ब्यौरे अनुसार अनुसंधान/ प्रायोगिक उद्देश्य हेतु शैवाल/जैव-नियंत्रण एजेन्टों सहित निम्नलिखित जीवित क्रमियों एवं अन्य सन्धिपादों/गोलक्रमियों /माईक्रोबायल जीवाणु-समूहों के आयातहेतु अनुमति के लिए विध्वंसक क्रमि एवं कीट अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के खंड 3 के उप-खंड (1) के तहत जारी किए गए पादप संगरोध विनियमन के आयात आदेश, 2003 के खंड 7 के प्रावधानों अनुसार, आवेदन करता हूं/ करते हैं:

1 क्रमिनाशियों /माइटों/सन्धिपादों/ माईक्रोबायल जीवाणु-समूहों / आयात हेतु निर्दिष्ट किए गए जैव नियंत्रणएजेन्टस (सामान्य/वैज्ञानिक नाम) का वर्णन	
2. वर्गिकी (वर्गक्रम/वंश/उपवेश जातीय/ प्रजातियां या नसलें)	

3. जीवा संरचना चरण	
4. नमूने एवं इकाइयों की संख्या	
5. परपोषी प्रजातियां, यदि कोई हो (सामान्य/ वैज्ञानिक नाम)	
6. पैकिंग पद्धति एवं पैकेज संख्या और पहचान चिह्न, यदि कोई हो	
7. मूल देश एवं नौवाहन की विदेशी बन्दरगाह	
8. नौवाहन की पद्धति एवं प्रविष्टि स्थल	
9. आयातक का नाम एवं पता	
10. निर्यातक का नाम एवं पता	
11. आयात की लगभग तारीख	
12. आयात का उद्देश्य	

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा भारत सरकार के पादप संरक्षण सलाहकार द्वारा इस बारे में समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ/हैं।

तारीख -----

(मूहर)

स्थान -----

(आवेदक के हस्ताक्षर)

पीक्यू फार्म 13

<p>(संप्रतीक) भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग पादप संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण, निदेशालय एनएच-IV, फरीदाबाद (हरियाणा-121001)</p>	
<p>शैवाल/जैव-नियंत्रण एजेंटों सहित जीवित क्रमियों और अन्य सन्धिपादों/गोलक्रमियों/ माइक्रोबायल जीवाणु समूहों के आयात हेतु अनुज्ञापत्र।</p>	
<p>अनुज्ञापत्र संख्या -----</p>	<p>जारी होने की तारीख ----- तक वैध -----</p>
<p>विध्वंसक कीट व नशीबीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के खंड 3 उपखंड (1) के तहत जारी किए गए पादप संरक्षण (भारत में आयात विनियमन) आदेश, 2003 के खंड 7(3) के प्रावधानों के अनुसार, मैं एतद्वारा नीचे दिए गए ब्यौरे अनुसार निम्नलिखित शैवाल/ जैव-नियंत्रण एजेंटों सहित जीवित, क्रमियों और अन्य सन्धिपादों/ गोलग्रमियों/माइक्रोबायल जीवाणु समूहों के आयात की अनुमति प्रदान करता हूँ:</p>	
1. आयातक का नाम एवं पता	2. निर्यातक का नाम एवं पता
3. मूल देश	4. प्रविष्टि स्थल

5. जीवाणु वर्णन (सामान्य/वैज्ञानिक नाम)	6. वर्गिकी (वर्ग/वैश क्रम आदि)	7. जीव संरचना, चरण, परपोषी प्रजातियां, यदि कोई हों	8. नमूने एवं ईकाइयों की संख्या	9. पैकिंग पद्धति एवं पहचान चिह्न, यदि कोई हो
10. उक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है:				
(1) इस अनुज्ञापत्र के तहत आयात के लिए अनुमत किए गए इसी प्रकार के या अन्य जीवाणु का कोई एवजी अनुमत नहीं है।				
(2) से मुक्ति के लिए मूल देश के समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक अधिकारिक प्रमाणपत्र प्रवेष्टन के साथ लगाया जाएगा :				
(क) -----				
(ख) ----- (3) जैव-नियंत्रण एजेंटों का परेषण, फिल्ड परीक्षणों के लिए निर्मुक्त करने से पूर्व ----- अवधि के लिए उत्तर प्रविष्टि संगरोध (संस्थान/संगठन का नाम) में ----- रखा जाएगा।				
(4) अनुज्ञापत्र धारक पते में किसी परिवर्तन और उनके अनुदेशों के अनुपातन के बारे में पादप संरक्षण सलाहकार को सूचित करेगा।				
दिनांक : -----	संगठन का नाम एवं मोहर			
स्थान : -----	जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर			

[फा. सं. 8-104/2015-पीपी-II]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

नोट: पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 को दिनांक 18 नवम्बर, 2003 को संख्या का.आ. 1322 (असा.) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा बाद में 06 फरवरी, 2004 के का.आ. 167 (असा.), 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427 (असा.), 31 मई, 2004 के का.आ. 644 (असा.), 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263 (असा.), 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462 (असा.), 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121 (असा.), 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353 (असा.), 31 अक्टूबर, 2006 के का.आ. 1873 (असा.), 06 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074 (असा.), 03 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069 (असा.), 1 जनवरी, 2008 के का.आ. 3 (असा.), 08 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847 (असा.), 15 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2888 (असा.), 09 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286 (असा.), 16 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2390 (असा.), 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269 (असा.), 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298 (असा.), 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907 (असा.), 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095 (असा.), 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284 (असा.), 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516 (असा.), 04 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711 (असा.), 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052 (असा.), 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887 (असा.), 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845 (असा.), 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296 (असा.), 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775 (असा.), 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799 (असा.), 28 मई, 2013 के का.आ. 1378 (असा.), 14 जून, 2013 के का.आ. 1531 (असा.), 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919 (असा.), 13 जून, 2014 के का.आ. 1508 (असा.), 27 जून, 2014 के का.आ. सं. 1632 (असा.), 12 सितम्बर, 2014 के का.आ. सं. 2320 एवं 29 सितम्बर, 2014 के का.आ. सं. 2542 (असा.) दिनांक 11 नवंबर, 1914 के का.आ. 2879 (असा.), 10 दिसंबर, 2014 के का.आ. सं. 3114 (असा.), 26 मई, 2015 के का.आ. सं. 1413 (असा.), 15 सितम्बर, 2015 के का.आ. सं. 2496 (असा.), 13 जनवरी 2016 के

का.आ. सं. 101 (असा.), 7 मार्च, 2016 के का.आ.सं. 608 (असा.), 25 मई, 2016 के का.आ.सं. 1873 (असा.), 20 जून, 2016 के का.आ.सं.2192 (असा.) तथा 29 जून, 2016 के का.आ.सं. 2248 (असा.) के माध्यम से संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2016

S.O. 2453(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:-

- 1. Short title and Commencement.-** (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Sixth Amendment) Order, 2016.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In Chapter II of Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, the existing entries relating to clause **3 (1, 2, 4, 6, 9,)** shall be replaced with the following entries, namely:-

‘3. Import of plants, plant products etc.

(1) No plants, plant products and other regulated articles (hereinafter referred to as ‘consignment’) shall be imported into India without complying the phytosanitary conditions stipulated under this Order. The order shall regulate import of all plants, plant products and other articles including but not limited to seeds/grains, pods, nuts, fruits, bulbs, tubers, corms/cormlets, rhizomes, suckers, cuttings, grafts, saplings, bud woods, roots, rootstock, flowers, pollens, dry plant materials, timber, wood, logs, tissue culture plants, soil, earth, clay, sand, peat/moss, live insects, microbial culture, bio-control agents, transgenic plants and genetically modified organisms etc.,

(2) No categories of plants/plant products in respect of the plant species or variety mentioned in Schedule-IV shall be allowed to be imported into India from the countries mentioned against each in column (4) of the said Schedule.

(3) This Clause shall be omitted.

(4) Import of consignments of seeds of coarse cereals, pulses, oil seeds and fodder seeds and seeds/stock material of fruit plant species for propagation shall only be permitted based on the recommendations of EXIM Committee of Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare (DAC&FW), except the trial material of the same as specified in Schedule-XII of Plant Quarantine Order.

(5) This Clause shall be omitted.

(6) No consignment of regulated articles as referred under Clauses 4, 6 and 7 shall be allowed for import, unless accompanied with an import permit issued by the authority as specified under Schedule X.

(9) The import permit issued shall be valid for twelve months from the date of issue and valid for multiple port access and multiple part shipments in accordance with Clause 3(14) (i) provided the exporter, importer and country of origin are the same for the entire consignment. The issuing authority may, on request, extend the period of validity for a further period of twelve months after charging Rs. 500/- provided such request for extension of validity is made to the issuing authority before the expiry of the permit with adequate reasons to be recorded in writing. In case of suppression of the facts or any material information, issue of import permit is liable to be cancelled or withdrawn.

(11) This Clause shall be omitted

3. In Chapter II of Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, the existing entries relating to clause **4** shall be replaced with the following entries, namely:-

‘4. Import of soil, growing media, etc. - No import of soil, growing media (with soil, peat or other organic materials), sand and peat or sphagnum moss, similar material and stone shall be permitted except under the following conditions, namely:-

- i. The consignments of soil in any form for research purpose; sand, similar material and stone for industrial and non-agriculture purpose; growing media (with soil, peat or other organic materials), peat or sphagnum moss for horticultural purposes, may be permitted through specified air or sea ports or land customs station.
“Provided an import permit shall be required for consignment of soil in any form for research purpose; growing media (with soil, peat or other organic materials), peat or sphagnum moss for horticultural purposes”
- ii. The application or online application for the purpose referred to in (i) above shall be made to the Issuing Authority as listed in Schedule-X, at least 10 days in advance, in PQ Form 06.
- iii. A fee of Rs. 1000/- shall be payable along with the application. The fee shall be payable online or in the form of Demand Draft payable to the Competent Authority having jurisdiction.
- iv. The Competent Authority may, after scrutiny of the application, and if satisfied of the purpose, for which such consignment is being imported, issue special permit in PQ Form 07. The import permit shall be issued subject to such restrictions and conditions prescribed under Schedule-VI.’

4 In Chapter II of Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, the existing entries relating to clause 7 shall be replaced with the following entries, namely:-

‘7. Import of live insects and other arthropods/nematodes/microbial cultures including algae/bio-control agents -

- (1) No consignment of live insects and other arthropods/nematodes/microbial cultures including algae/bio-control agents shall be permitted into India without valid import permit issued by competent authority as specified under Schedule-X.
- (2) Every application or online application for permit to import live insects and other arthropods/nematodes/microbial cultures including algae/bio-control agents, shall be made in the PQ Form 12 at least thirty days in advance to Plant Protection Adviser along with a fee of Rs. 1000/- towards registration in the form of bank draft issued in favour of the Accounts Officer, Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage, Faridabad-121001.
- (3) The competent authority shall issue the permit in PQ Form 13 in triplicate, if satisfied of the purpose for which import is made and subject to such conditions imposed thereon.
- (4) All the consignments of live insects and other arthropods/nematodes/microbial cultures including algae/bio-control agents shall be permitted only through points of entry specified under Clause 3(14). The consignment of beneficial insects shall be accompanied by a certificate issued by National Plant Protection Organisation at the country of origin with additional declarations for freedom from specified parasites and parasitoids and the bio-control agents free from hyper-parasites. The consignment of beneficial insects/bio-control agents shall be subjected to post-entry quarantine as may be prescribed by the Plant Protection Adviser.
- (5) Nothing contained in the clause shall apply to import of live insects and other arthropods/nematodes/microbial cultures including algae/bio-control agents having no relevance in agriculture.’

5 In Chapter III of Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, the existing entries relating to clause 10 shall be replaced with the following entries, namely:-

‘10. Special conditions for import of plant species –

- (1) In addition to the general conditions listed above in Chapter-II, the plant species herein after mentioned in Schedules-V, VI and VII shall be permitted to be imported subject to such restrictions and conditions specified in this Chapter.
- (2) Every consignment of plant species herein specified in Schedules-V, VI and VII shall be accompanied by an original Phytosanitary Certificate issued by the authorized officer at country of origin or Phytosanitary Certificate for re-export issued by the country of re-export along with attested copy of Phytosanitary Certificate from country of origin, as the case may be, with the additional declarations being free from pests mentioned under Schedules-V and VI of this order or that the pests as specified do not occur in the country or state of origin.
- (3) The special conditions relating to treatment and freedom from soil and/ or weed as specified under Schedules V and VI shall be endorsed on such Phytosanitary Certificate, wherever applicable.
- (4) The consignment of plants and planting material shall be imported subject to the conditions stipulated under Clause 3(4) and 3(11).’

6. In Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, the existing PQ Forms 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11 and 14 shall be omitted.

7. In Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, the existing PQ Forms 06, 07, 12 and 13 and entries relating thereto shall be substituted by the following entries, namely:-

PQ Form 06

(Emblem)
Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)
Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage,
NH-IV, Faridabad (Haryana) - 121001.

Application for Permit to Import soil/ growing media/peat or Sphagnum moss

To			
(Issuing Authority)			
I/We hereby make an application in accordance with provisions of clause 4 (ii) of the Plant Quarantine (Regulations of Import into India) Order, 2003 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects & Pests, 1914 (2 of 1914) for permission to import soil/ growing media/peat or Sphagnum moss as detailed below:			
1. Name & Address of the importer		2. Name and address of exporter	
3. Country of origin		4. Foreign port of shipment	
5. Approximate date of import			
6. Point of entry		7. Means of conveyance	
8. Description of consignment	9. Quantity	10. No of packages	11. Mode of packing
12. Specific purpose of import			
<p>Declaration I/We hereby undertake to pay to an officer duly authorized by the Plant Protection Adviser the prescribed fees towards inspection or treatment of the consignment and abide by the instructions/guidelines issued by him. Date: _____ Place: _____</p> <p style="text-align: right;">(Signature & Name of the Importer or his authorized agent)</p>			

PQ Form 07

(Emblem)
Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)
Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage,
NH-IV, Faridabad (Haryana) - 121001.

Permit for import of soil/ growing media/peat or Sphagnum moss

Permit No. _____

Date of issue _____

Valid up to _____

In accordance with the provisions of clause 4 of the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects & Pests Act, 1914 (2 of 1914) , I hereby grant permission to import the following consignment of soil/ growing media/peat or Sphagnum moss as detailed below:

1. Name and address of importer	2. Name and address of exporter		
3. Country of origin	4. Point of entry		
5. Description of consignment	6. Quantity (Wt./vol.)	7. No. of packages	8. Mode of packing

9. The above permission is granted subject to the following conditions:

(1) The imported consignment shall be accompanied by an official phytosanitary certificate issued by an authorized officer in the country of origin stating that

- (a) _____
(b) _____
(c) _____

(2) The permit is not transferable and shall be valid for twelve months from the date of issue and valid for multiple port access and multiple part shipments provided the exporter, importer and country of origin are the same for the entire consignment. The permit number shall be quoted on the phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export, as the case may be.

(3) The imported consignment of soil/effluents shall be disposed after laboratory investigation in a manner prescribed by an officer duly authorized by the Plant Protection Adviser in this regard.

Date : _____
Place: _____

(Seal)

Name
Signature
Designation
of Issuing Authority

PQ Form 12**Application for Permit to import live insects and other arthropods/nematodes/microbial cultures including algae/bio-control agents**

(Emblem)

Government of India

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage,

NH-IV, Faridabad (Haryana) - 121001.

To The Plant Protection Adviser to the Government of India, Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, NMV-IV, Faridabad (Haryana)-121001)	
I/We hereby make an application, in accordance with provisions of Clause 7 of Plant Quarantine Regulation of Import Order, 2003, made under Sub-section (1) of the Section 3 of the Destructive Insects & Pests Act, 1914 (2 of 1914) for a permission to import of following live insects and other arthropods/ nematodes/ microbial cultures including algae/bio-control agents for research/experimental purpose as detailed below:	
1. Description of insects/mites/nematodes/ microbial cultures/ biocontrol agents intended to import (common /scientific names)	
2. Taxon (Class/order/family/ sub-family tribe/ races or strains)	
3. Stages of the organism	
4. Number of specimens or units	
5. Host species, if any (Common/Scientific Name)	
6. Mode of packing & no. of packages and distinguishing marks, if any	
7. Country of origin & foreign port of shipment	
8. Mode of shipment & point of entry	
9. Name and address of importer	
10. Name & address of exporter	
11. Approximate date of import	
12. Purpose of import	
Declaration	
I/We hereby undertake to abide by the instructions/guidelines issued by the Plant Protection Adviser to the Govt. of India from time to time in this regard.	
Date: _____	
Place _____	
(Seal)	(Signature of Applicant)

PQ Form 13

(Emblem) Government of India Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare) Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage NH-IV, Faridabad (Haryana-121001)				
Permit for import of live insects and other arthropods/nematodes/microbial cultures including algae/bio-control agents				
Permit No. _____			Date of issue _____	
Valid up to _____				
In accordance with provision of clause 7 (3) of the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Destructive Insects & Pests Act, 1914 (2 of 1914), I hereby grant permission for import of following live insects and other arthropods/ nematodes/ microbial cultures including algae/bio-control agents as detailed below:				
1. Name & Address of Importer			2. Name & Address of Exporter	
3. Country of origin			4. Point of Entry	
5. Description of organism (Common/Scientific Name)	6. Taxon (Class/family order etc.)	7. Stage of organism, host species, if any	8. No. of specimens/units	9. Mode of packing and distinguishing marks, if any
10. The above permission is granted subject to the following conditions: (1) No substitute is permitted for the kind or organism permitted for import under this permit. (2) The consignment shall be accompanied by an official certificate issued by an appropriate authority in the country of origin for freedom from: (a) _____ (b) _____ (3) The consignment of bio-control agents shall be held under post-entry quarantine at _____ _____(Name of Institute/Organisation) for a period of _____ before release for field trials. (4) The permittee shall intimate the Plant Protection Adviser of any change of address and comply with his instructions.				
Date: _____ Place: _____		Name & (Signature of issuing authority) Stamp of Organization		

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 1st January, 2008, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845 (E) dated 21st December, 2011, S.O. No.296 (E) dated 17th February, 2012 and S.O. 2775(E) 23rd November, 2012 S.O.799(E) dated 21st March, 2013, S.O.1378(E) dated 28th May, 2013, S.O.1531(E) dated 14th June, 2013, S.O.2919(E) dated 26th September, 2013, S.O.1508(E) dated 13th June, 2014 and S.O. No.1632(E) dated 27th June, 2014, S.O. No.2320(E) dated 12th September, 2014, S.O. No.2542(E) dated 29th September, 2014, S.O. No.2879(E) dated 11th November, 2014, S.O. No.3114(E) dated 10th December, 2014, S.O. No. 1413(E) dated 26th May, 2015, S.O. No. 2496(E) dated 15th September, 2015, S.O. No. 101(E) dated 13th January, 2016, S.O. No.608(E) dated 7th March, 2016, S.O. No.1873(E) dated 25th May, 2016, S.O. No.2192(E) dated 20th June, 2016 and S.O. No. 2248(E) dated 29th June, 2016.